न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA070 Smt Jhhamaki Vs Magnaram etc

श्रीमती झमकू पत्नी मोटाराम जाट
निवासी चटालिया, तहसील बावडी
जिला जोधपुर ----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. मगनाराम पुत्र रूगाराम जाट
2. मंगलाराम पुत्र रूगाराम जाट
3. सतपालराम पुत्र कोजाराम जाट
4. श्रीमती जडाव पत्नी कोजाराम जाट
5. सोवनराम पुत्र कोजाराम जाट
6. टीकूराम पुत्र कोजाराम जाट
   निवासीगण ग्राम चटालिया, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी
   जिला जोधपुर ----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 20 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 89/2018 मगनाराम व अन्य बनाम श्रीमती झमकू आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री आर.पी. चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कानाराम गोदारा, अपीलाण्ट रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्तू., 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 89/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 26 जून 2018 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम चटालिया तहसील बावडी स्थित आराजी खसरा संख्या 256, 257, 260/3, 352 व 354 रकबा कमशः 25 बीघा 13 बिस्वा, 33 बीघा 15 बिस्वा, 10 बीघा, 10 बीघा 04 बिस्वा एवं 42 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 121 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त आराजियात वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः तथा प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की होना एवं उक्त आराजियात में प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट के हिस्से में कुल भूमि में से 7 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 23 मई 2018 को दर्ज किया गया और आगामी पेशी दिनांक 20 जून 2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कजनाऊकलां में प्रकरण पेश होकर, प्रतिवादी-अपीलाण्ट की तलबी हेतु उसके पुत्र को फोन पर सूचित किया जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होना दर्शाते हुए दावा निर्णित कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट-वादिनी को सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। जिस मोबाइल फोन नम्बर पर सूचित किया जाना वर्णित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है, ऐसा कोई मोबाइल फोन नम्बर (7528075789) प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट या उसके परिवार के सदस्य का है ही नहीं। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट को जबाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया, न ही मामले में तनकियात कायम की गयी और न ही प्रतिवादिनी को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। वादीगण-रेस्पो. दुराभिसंधिपूर्वक प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट को मौके पर जहाँ उसकी शामलाती ढाणिया, नलकूल और चारदीवारी आदि बनी हुई है, से बिना कोई बंट व हिस्सा दिये बेदखल करना चाहते है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रकरण राजस्व लोक-अदालत शिविर में रखे जाने बाबत अपीलाण्ट के पुत्र को फोन पर सूचित कर दिया गया था, इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। अतः अब अपील के स्तर पर यह कहा जाना उचित नहीं है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। वादीगण-रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट को उसकी इच्छानुसार कहीं पर भी उसके हिस्से अनुसार भूमि देने को तैयार है, जिस संबंधित उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया जा चुका है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की पालना में दिनांक 26 जून 2018 को विभाजन प्रस्ताव भी अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हो चुके है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23 मई 2018 को वाद दर्ज किया गया और दिनांक 20 जून 2018 की आदेशिका अनुसार "... राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" कैम्प कजनाऊकलां में पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए . .. " इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पेज संख्या 20 व 21 पर नोटिस की प्रतियाँ उपलब्ध है जिनमें से पेज 20 पर उपलब्ध नोटिस की पुश्त पर भगवानाराम मगनाराम के हस्ताक्षर है, साथ ही

> मोबाइल · न. 7528075789 पर सूचित किया जाना प्रतिवेदित है। प्रार्थीया झमकूदेवी पारिवारिक कलह के कारण अपने गांव में निवास नहीं करती है। उसके पुत्र को दूरभाष पर सूचित किया। बाद तामील कराके श्रीमान जी की सेवा में पेश है। ह. सवार

इसके अलावा इस पर न तो कोई दिनांक अंकित है और न ही संबंधित तहसीलदार द्वारा ताईद की गयी है। जाहिर है कि इस प्रकार की तामील को प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट झमकूदेवी के खिलाफ सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सम्यक तामील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वह पारिवारिक कलह के कारण अपने वर्णित पते पर निवास

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं करती तथा जिस फोन नम्बर पर सूचित किया जाना बताया है, उस पर पंजाबी भाषा में प्रत्युत्तर प्राप्त हो रहा है।

निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट को जबाब पेश करने का अवसर प्रदान कर, दावे एवं जबाब(यदि पेश किया जाता है) के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान से साक्ष्य-सबूत ली जाकर और उनकी सुनवाई की जाकर विधिवत तनकीवार समुचित विवेचन किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26 जून 2018 को पेश किये गये है, उसे स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार ऐसा किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव भी विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 जून 2018 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट को जबाब पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे, जबाब पेश होने पर विधिवत तनकियात कायम की जावे और उभय पक्षकारान को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाद विवेचन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विश्लेषण करते हुए नियमानुसार विधिसम्मतः **निर्णय व प्राथमिक डिकी तीन माह की अवधि में पारित किया जावे** । तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार बावडी स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करें। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान की सुनवाई कर, प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय विधिसम्मतः गुणावगुण के आधार पर फाइनल डिकी जारी करे।

उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक **22 नवम्बर 2019** को उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 25/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर